



न.एफ.टीयू/रजि./एमआईएससी/01/202

दिनांक : 26.05.2026

अधिसूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने पहले ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित कर रखा है; अतः निम्नलिखित बातों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

1.	साइनबोर्ड प्रदर्शन	"तंबाकू मुक्त क्षेत्र" या 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान' का सूचना-पट्ट मुख्य प्रवेश द्वार पर, प्रत्येक तल पर और पुस्तकालय तथा शौचालय जैसे साझा स्थानों में स्पष्ट रूप से लगाया जाना चाहिए।"
2.	जागरूकता कार्यक्रम	शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो जागरूकता सत्र या संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, जिनका लक्ष्य कैपस में तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थों के हानिकारक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना है।
3.	पदाधिकारियों की नियुक्ति	एक शिक्षक/संकाय सदस्य को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाए और एक या दो छात्र/छात्राओं को तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वे सक्रिय रूप से परिसर के वातावरण की निगरानी करें और इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करें।

इस संबंध में, डॉ. विशवबंधु, सह-प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, त्रि.वि.वि, को निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विश्वविद्यालय के समस्त छात्र और कर्मचारी के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित शिक्षण-पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु 'नोडल अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है।

यह सक्षम विश्वविद्यालय प्राधिकार के अनुमोदन के साथ जारी किया जा रहा है।

संकेत

(प्रो. समीर कुमार शील)
कुलसचिव (प्रभारी)

सेवा में,
डॉ. विशवबंधु,
सह-प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, त्रि.वि.वि.

प्रति:

1. संकायाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ , त्रि.वि.
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, त्रि.वि.वि — कृपया दो छात्र/छात्राओं को 'तंबाकू मॉनिटर' के रूप में नामित करने की कृपा करें।
3. विभाग/केंद्र के प्रमुख/प्रभारी प्रमुख/समन्वयक
4. समस्त संकाय सदस्य/अधिकारी/अशिक्षण कर्मी, त्रि.वि.वि
5. परिसर प्रभारी, त्रि.वि.वि
6. निजी सचिव, कुलपति, त्रि.वि.वि